न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – राजकेश मीना R.A.S

प्रकरण संख्या 130/2022 राजस्व प्रार्थनापत्र

अनवान

1 बाबूलाल पिता मिश्रीलाल धोवी उम्र–वयस्क निवासी डोहरिया तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा

.... प्रार्थी

बनाम

1 तहसीलदार (भूमिधार) फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज.)

..... अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन

उपस्थित :::– श्री सुनील कुमार शर्मा ––––प्रार्थी अधिवक्ता
राज्य पक्ष तहसीलदार फुलियाकलां

निर्णय

दिनांक 24.05.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 दिनांक 15.07.2022 को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के अनुसार ग्राम आमली कालूसिंह पटवार मण्डल कनेछनखुर्द तहसील फुलियाकलां स्थित खतौनी संख्या 145 के आराजी संख्या 740 रकबा 0.76 हैक्ट. प्रार्थी के पक्ष में खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है, एवं प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नही होने से पडौसीयों से मिन्नत करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। प्रार्थी वर्षो से अप्रार्थी भूमिधारी की ग्राम आमली कालूसिंह स्थित बिलानाम आराजी संख्या 738 भूमि में से होकर आता जाता रहा है, परन्तु अब तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा रूकावट उत्पन्न किये जाने से प्रार्थी ने विपक्षी भूमिधारी की बिलानाम आराजी संख्या 738 में से 20 फिट नवीन रास्ता कायमी बावत प्रकरण प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात में पहुंच हेतु अप्रार्थी के हक स्वामित्व की बिलानाम आराजी संख्या 738 में से 20 फिट नवीन रास्ता कायम किया जावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 18.07.2022 को बाद जांच, दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार फुलियाकलां को जरिये पत्र निर्देश दिये गये कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, नियमानुसार नवीन रास्ता कायमी का प्रस्ताव भिजवाया जावें। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा मौका रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसे रेकार्ड पर लिया गया।

प्रकरण में तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा प्रस्तुत नवीन रास्ता कायमी बावत रिपोर्ट का अवलोकन/परीक्षण किया गया, जिसमें ग्राम आमली कालूसिंह स्थित विपक्षी भूमिधारी की बिलानाम आराजी संख्या 738 में से 0.0093 हैक्टे. (5 मीटर गुणा 18.5 मीटर/92.5 वर्गमीटर) भूमि ही रास्ता कायमी हेतु प्रस्तावित हुई है। दूसरी ओर विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार की ओर से ऐसा कोई खण्डन/प्रतिरोध स्वरूप दस्तावेजी साक्ष्य/तर्क पत्रावली में प्रस्तुत नही कराया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कलाँ, जिला–भीलवाड़ा

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन उपरान्त एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि–

1. रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता :– प्रार्थी स्वयं के पास अपनी खातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौजूद नही है एवं साथ ही साथ प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग भी मौजूद नही है। प्रार्थी वर्षो से आवागमन हेतु राजकीय भूमि का उपयोग कर रहा है।
2. रिपोर्ट तहसीलदार में स्पष्ट रूप से दर्शित है कि प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी के आवागमन के लिए सबसे निकटतम व सुगमतम है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क)(1) की स्पष्ट अभिमन्शा है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जावें। रास्ता 30.00 फिट तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। प्रार्थी/खातेदार को अपनी जोत तक पंहुच/आवागमन हेतु 5 मीटर चौडा रास्ता उपलब्ध कराया जाना न्यायालय पर्याप्त समझता है।

अतः प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते के अनुरूप तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा ग्राम आमली कालूसिंह स्थित विपक्षी भूमिधारी के बिलानाम खसरा संख्या 738 में से 0.0093 हैक्टे. (5 मीटर गुणा 18.5 मीटर/92.5 वर्गमीटर) नवीन रास्ता कायमी हेतु यह प्रकरण उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थी इस प्रकार स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम आमली कालूसिंह पटवार मण्डल कनेछनखुर्द तहसील फुलियाकलां स्थित बिलानाम खसरा संख्या 738 में से 0.0093 हैक्टे. (5 मीटर गुणा 18.5 मीटर/92.5 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव/नजरी नक्शा रास्ता (सार्वजनिक उपयोग हेतु) कायम किया जाकर तदनुसार रेकार्ड में अमल–दरामद तहसीलदार फुलियाकलां द्वारा किया जावें। यह आदेश तब ही प्रभावी होगा जब प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी राज्य पक्ष (आराजी संख्या 738 के वर्तमान खातेदार) के पक्ष में तहसील फुलियाकलां में प्रचलित डी.एल. सी. दर प्रति हैक्टेयर अनुसार रकबा 0.0093 हैक्टेयर मालियत राशि की दौगुनी राशि 2,231/– रूपये (0.0093 हैक्टयर की) राज्य कोष को अदायगी कर दी जावे/जमा करा दी जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि–

1– तहसीलदार फुलियाकलां को पालनार्थ प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकला
जिला भीलवाड़ा
उपखण्ड अधिकारी
फुलियाकलां, जिला–भीलवाड़ा